



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215173
CG-DL-E-06012020-215173

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]
No. 04]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2020/पौष 12, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2020/PAUSHA 12, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 06(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास, तत्कालीन कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा कांडला पत्तन न्यास के लिए बनाये गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा-निर्धारित कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को अनुमोदित करती है।

2. यथा-अनुमोदिन उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, एतद्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में, अनुसूची में:-

“(क) क्रम सं. 43 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित, कॉलम 8 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा; और
- (iii) स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा के मामले में किसी अस्पताल में क्रमशः सोलह वर्ष और अठारह वर्ष का योग्यता उपरांत अनुभव।

(ख) क्रम सं. 44 में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित, कॉलम 8 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विशिष्ट स्पेशियालिटी में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा; और
- (iii) स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा के मामले में किसी अस्पताल में स्पेशलाइजेशन के संबंधित क्षेत्र में क्रमशः दस वर्ष और बारह वर्ष का योग्यता उपरांत अनुभव।

[फा.सं. पीआर-24021/16/2019-पीई-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य विनियम सां का. नि. 767(अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे तथा तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा. का. नि. 551(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2015;
- (ii) सा. का. नि. 149(अ) दिनांक 8 फरवरी, 2016;
- (iii) सा. का. नि. 1124(अ) दिनांक 9 दिसम्बर, 2016;
- (iv) सा. का. नि. 545(अ) दिनांक 2 जून, 2017;
- (v) सा. का. नि. 850(अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2018; और
- (vi) सा. का. नि. 473(अ) दिनांक 5 जुलाई, 2019;

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 02nd January, 2020

G.S.R. 06(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020, made by the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust erstwhile the Kandla Port Trust as set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Deendayal Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. (1) These regulations may be called as the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule,-

(a) against serial number 43, relating to the post of Chief Medical Officer, in column 8, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) MBBS degree from a recognized University;

(ii) A postgraduate medical Degree or postgraduate medical Diploma from a recognized University; and

(iii) post qualification experience of sixteen years in case of postgraduate medical degree holders and eighteen years experience in case of postgraduate medical Diploma holders in a hospital”.

(b) against serial number 44, relating to the post of Senior Dy. Chief Medical Officer, in column 8, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

(i) MBBS degree from a recognized University;

(ii) A postgraduate medical Degree or postgraduate medical Diploma in the specified speciality from a recognized University; and

(iii) post qualification experience of ten years in case of postgraduate medical degree holders and twelve years experience in case of postgraduate medical Diploma holders in the relevant field of specialization in a hospital”.

[F. No. PR-24021/16/2019-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India extraordinary, *vide* number G.S.R. 767(E), dated the 20th October, 2009 and was subsequently amended *vide* numbers :—

(i) G.S.R. 551(E), dated the 7th July, 2015;

(ii) G.S.R. 149(E), dated the 8th February, 2016;

(iii) G.S.R. 1124(E), dated the 9th December, 2016;

(iv) G.S.R. 545(E), dated the 2nd June, 2017;

(V) G.S.R. 850(E), dated the 10th September, 2018; and

(VI) G.S.R. 473(E), dated the 5th July, 2019.